न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–11, सुलतानपुर

सत्र परीक्षण संख्या–80/2019
राज्य बनाम विशाल सिंह आदि
अपराध संख्या–281/2018, थाना दोस्तपुर, जिला सुलतानपुर

आरोप

मैं पी0 के0 जयन्त, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–11, सुलतानपुर एतदद्वारा आप अभियुक्तगण विशाल सिंह एवं राजन पासी पर निम्न आरोप विरचित करता हूँ:–

प्रथम–यह कि दिनाक 28.11.2018 समय 12.40 बजे, स्थान मदनपुर मोड़ ग्राम मदनपुर खुर्द, थाना दोस्तपुर, जिला सुलतानपुर में आप अभियुक्तगण ने समान आशय के अग्रसारण में मोटरसाइकिल का नम्बर प्लेट बदलकर, फर्जी तरीके से कूटरचना किया। इस प्रकार आप लोगों ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा–467/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय–यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने समान आशय के अग्रसारण में फर्जी तरीके से मोटरसाइकिल का नम्बर प्लेट बदलकर, छल करने के आशय से कूटरचना किया। इस प्रकार आप लोगों ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा–468/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय–यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने समान आशय के अग्रसारण में, यह जानते हुये कि गाड़ी का नम्बर प्लेट नकली है, उसे असली के रूप में प्रयोग किया। इस प्रकार आप लोगों ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा–471/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः–20.09.2019

(पी0 के0 जयन्त)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–11, सुलतानपुर

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उन्होंने इंकार कर, विचारण की माँग की।

दिनांकः–20.09.2019

(पी0 के0 जयन्त)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–11, सुलतानपुर

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–11, सुलतानपुर

सत्र परीक्षण संख्या–80/2019
राज्य बनाम विशाल सिंह आदि
अपराध संख्या–281/2018, थाना दोस्तपुर, जिला सुलतानपुर

आदेश पत्र

दिनांकः–20.09.2019

वाद पुकारा गया। अभियुक्तगण अभियुक्तगण विशाल सिंह एवं राजन पासी उपस्थित हैं तथा राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक भी उपस्थित हैं।

विद्वान लोक अभियोजक ने अभियोजन पक्षकथन एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए, उस साक्ष्य का उल्लेख किया, जिसके द्वारा वह आरोप सिद्ध करना चाहते हैं।

आरोप के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान लोक अभियोजक के तर्क सुनने व अभिलेख का अध्ययन करने से प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–467/34, 468/34, 471/34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का समुचित आधार प्रतीत होता है।

तद्नुसार उपरोक्त धाराओं में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया, जिससे उन्होंने इंकार कर, विचारण की मॉग की, फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य आहूत किया जाता है।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 16.10.2019 को पेश हो।

ह–20.9.2019

(पी0 के0 जयन्त)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–11, सुलतानपुर